

राजस्थान सरकार
निर्देशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./सामान्य/2017/969-78

दिनांक: 4-12-17

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:—पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांगजन प्रमाणीकरण शिविर में पूर्व में जारी किये गये दिशा निर्देशों की निरंतरता के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांगजन प्रमाणीकरण शिविर की समीक्षा करने पर आशाजनक प्रगति नहीं पायी गयी है अतः आशाजनक प्रगति प्राप्त करने के क्रम में निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें।

1. जिला स्तर पर उक्त कार्य हेतु उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(स्वास्थ्य) नोडल अधिकारी होंगे एवं शहरी जिला कार्यक्रम प्रबंधक आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इसी प्रकार खण्ड स्तर पर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे एवं खण्ड आशा समन्वयक उक्त कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे।
2. प्रत्येक खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिन निःशक्तजनों का प्रमाण पत्र पूर्व में नहीं बना है उनकी सूची साफ्टवेयर से प्राप्त कर ग्राम वाईज जनप्रतिनिधि/आंगनबाडी कार्यकर्ता/ आशा को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार उपलब्ध करवायेंगे।
3. आशा/आंगनबाडी कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में सूची अनुसार निःशक्तजन को निकटस्थ पीएचसी/सीएचसी /शिविर स्थल पर प्रमाणीकरण कार्य हेतु प्रेरित करेगी।
4. खण्ड व जिला स्तर पर प्रमाणीकरण कार्य की प्रतिदिन मॉनीटरिंग की जावे तथा जिस क्षेत्र में कार्य नहीं हो पा रहा है वहां पर नोडल अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जायें।
5. सभी चिकित्सा संस्थानों पर प्रतिदिन दोपहर 12 से 2 के मध्य दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण का कार्य किया जावे।
6. निःशक्ता की श्रेणियों की संख्या के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा शिविरों में विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
7. जिन चिकित्सा संस्थानों पर शिविर आयोजित किये जा रहे है यथा पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पताल वहां के चिकित्सा प्रभारी शिविर प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे शिविर प्रभारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी वह अपने-अपने क्षेत्र में दिव्यांगजनों को जिनका प्रमाणीकरण होना शेष है शिविर से पूर्व एसएमएस की सुविधा के माध्यम से एसएमएस करवायेंगे।
8. शिविर में सभी चिकित्सक व अन्य अधिकारी/कर्मचारी समय पर, निर्धारित वेशभुषा में व आवश्यक उपकरण सहित पहुंचना सुनिश्चित करेंगे तथा शिविर समाप्ति पश्चात ही शिविर स्थल छोड़ेंगे।

9. शिविर प्रभाव का यह दायित्व होगा कि वह अपने संस्थान पर लगने वाले शिविर में सेवा की अथवा अन्य चिकित्सकों की एसएसओ आईडी मैपिंग शिविर से 10 दिन पूर्व करवाया सुनिश्चित करावें तथा मैपिंग होने के पश्चात स्वयं व्यक्तिगत इस बात की सुनिश्चिता कर ले कि सॉफ्टवेयर में आवेदन प्रदर्शित हो रहे है या नहीं हो रहे है सॉफ्टवेयर से संबंधित तकनीकी समस्याओं के लिये helpdesk.dsa@rajasthan.gov.in पर सूचित करें तथा एसएसओ आईडी मैपिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिये addtiha@gmail.com पर मेल करना सुनिश्चित करावें।
10. शिविरों में यदि मेन्युली प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है तो उनका समय रहते ऑनलाईन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा मेन्युली किये गये कार्य की सूचना जिला व निदेशालय को भी उसी दिन भिजवाया जावें।
11. शिविर स्थल पर शिविर प्रभारी चिकित्सकों को दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण के मूल्यांकन की गार्डलाईन भी उपलब्ध करवायेगें।
12. आपके सुलभ संदर्भ हेतु प्रमाणीकरण से संबंधित गार्डलाईन पुनः भिजवायी जा रही है।
13. प्रतिदिन शिविर की रिपोर्ट निम्नलिखित प्रपत्र में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संकलित करते हुए जिले पर व जिले पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निदेशालय पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

क्रम संख्या	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	शिविर की दिनांक	पूर्व में किये गये पंजीकरण की संख्या	शिविर में किये गये कुल पंजीकरण की संख्या	कुल पंजीकरण	शिविर में जारी किये गये प्रमाण पत्र		रेफर किये गये की संख्या	रिजेक्ट की संख्या	कुल शेष
							ऑनलाईन	ऑफलाईन			
उक्त सूचना एकशल शीट(सॉफ्ट कॉपी) में भिजवाना सुनिश्चित करावें।											

संलग्न:--उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त निदेशक(चि0 प्र0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
दिनांक: 4-12-17

क्रमांक :चि.प्र./सामान्य/2017/469-78

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जयपुर।
3. निजी सचिव निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
6. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को ई-मेल व वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(चि0 प्र0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

**Government of Rajasthan
Department of Social Justice and Empowerment**

No. F 16 (1) () DC/DW/SJED/2010/59025 Jaipur, Dated : 04.11.10

Notification

In pursuance of the provisions of clause (p) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, (Central Act No. 1 of 1996), the State Government hereby specifies, for the purpose of issue of certificate of disability as mentioned in clause (t) of the said section 2, the hospitals and institutions mentioned in column 3 of the table given below, as "Medical Authority" for the type of disability mentioned in column 2 thereof, and further directs that the Medical Officer of the hospital/institution as mentioned in column 4 shall be authorized to sign the disability certificate on behalf of the Medical Authority, namely:-

Table

S. No.	Type of Disability	Hospital/Institution which is being specified as the "Medical Authority" for the purpose of the disability mentioned in column 2	Medical officer working in the Hospital/Institution mentioned in column 3 who would be competent to issue certificate of disability
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(i) Locomotor Disability by way only of amputation or complete permanent paralysis of limbs,	(i) District Hospital, Civil Hospital, Civil Dispensary, CHC, PHC under State Government (ii) Hospital/ dispensary run by Statutory Local Bodies	(i) Head/senior most Doctor in charge of the primary Health Centre, Community Health Centre Civil Dispensary. (ii) Such doctor(s) working in other hospitals mentioned in column 3 as may be authorized by an order of the head of such hospital.
2	Multiple Disability	(i) District Hospital (ii) Other Hospitals run by the State Government or statutory Local Bodies having (a) Specialists and (b) necessary measurement/assessment/evaluation facilities in relevant fields (e.g. audiometric, optometric and other testing facilities).	A Medical Board as may be specified by a Medical Superintendent/ Chief Medical Officer/ Head of the District Hospital, headed by a senior specialist, and consisting of Doctor with post-graduate degree in the disciplines dealing with relevant disabilities.

3	Disabilities not mentioned at serial number 1 and 2 above	(i) District Hospital (ii) Other Hospitals run by the State Govt. or statutory Local Bodies having specialists and necessary measurement/assessment/evaluation facilities in relevant fields (e.g. audiometric, optometric and other testing facilities).	A Doctor having a postgraduate degree in the discipline dealing with the relevant disability.
---	---	--	---

Note :

- (i) In respect of categories mentioned at serial number 1, 2 and 3 of the table above, if in a Hospital, mentioned in column 3, a doctor with a Post Graduate degree in the relevant discipline is not available, the Head of such Hospital may utilize the services, in accordance with such guidelines as may be issued by the State Government in this respect, of a retired Government specialist or other private specialist practicing at that place or elsewhere in the district or a specialist from a nearby medical college and having requisite qualifications. However, in case of services taken from a non-government specialist, the certificate will be valid only when countersigned by the Principal Medical Officer in case of District Hospitals or head of other hospitals mentioned in column 2 of the table above against item 2 and 3.
- (ii) Likewise, if a Hospital mentioned above does not have requisite assessment facilities, the Head of such Hospital may use the facilities of a non-Government Laboratory/testing facility located at the same place or at a nearby place in the District in accordance with such guidelines as the State Government may lay down.


Explanation:

- (i) "Primary Health Centre" means Medical facility in rural area covering a population of 20-30 thousand providing preventive services and primary curative services headed by Medical Officer.
- (ii) "Community Health Centre" means Medical facility covering a population of up to 1 lac. providing preventive treatment facilities (specialty services) in Medicine, Surgery and Gynaecology and Pediatrics as labeled as first Referral Unit.

- (iii) "Civil Dispensaries" means outpatient services in urban areas managed by Medical Officer.
- (iv) "District Hospital" means institution at District level providing secondary curative care headed by Principal Medical Officer (PMO).
- (v) "Statutory local body" means:-

- (a) A Panchayat as defined in clause (d) of Article 243 of the Constitution of India;
- (b) A Municipality as defined in clause (e) of Article 243 P of the Constitution of India; and
- (c) Any other local body established by or under a law passed by the legislature of the State.

By order and in the name of the Governor



(Aditi Mehta)
Principal Secretary to the Government